(2)

(256)

पटना उच्च न्यायालय में

प्रकीर्ण अपील संख्या 679/2023

---

1. बिहार राज्य
2. कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती कार्य प्रमंडल, चेनारी, जिला–रोहतास

अपीलार्थी/यों

बनाम

मेसर्स बाबा हंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 162, आनंदपुरी, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, थाना– एस.के. पुरी, जिला– पटना–800001।

प्रतिवादी/ओं

उपस्थितिः

अपीलार्थी/यों के लिए : श्री नदीम सेराज, अधिवक्ता
श्री शैलेश कुमार, अधिवक्ता
श्री अफहम अख्तर, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सौरव सुमन, अधिवक्ता
श्री प्रगति पत्र, अधिवक्ता
श्री आलेखानंद, अधिवक्ता
श्री सर्वेश्वर तिवारी, अधिवक्ता

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

दिनांक : 08–01–2025

यह अपील ज्ञापन मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 37(1)(ग) के तहत, माननीय जिला न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम द्वारा सिविल प्रकीर्ण मामले संख्या 44/2021 में दिनांक 29.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है, जिसके तहत माननीय न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को परिसीमा के आधार पर प्रवेश स्तर पर ही खारिज कर दिया था, जबकि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत कोई लाभ नहीं दिया गया था।

अनुवाद

(725)

2. इस अपील को दायर करने में 129 दिन के साथ विलंब की क्षमा मांगने वाला एक अंतरिम आवेदन भी संलग्न है। प्रारंभ में ही, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदन में अनजाने में 129 दिनों की विलंबता का उल्लेख है, अपील 60 दिनों से वर्जित है। अंतरिम आवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपील दाखिल करने में विलंब मुख्य रूप से इसलिए हुआ है क्योंकि संचिका क्षेत्र से मुख्यालय/विभाग तक जाती है और विभाग में भी संचिकाएँ सहायक स्तर से शुरू होकर विभिन्न अधिकारियों को पार करते हुए संयुक्त सचिव/सचिव के स्तर तक पहुँचती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बिहार राज्य और अन्य बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह और सदृश** मामले और **2000 (3) पीएलजेआर (एससी) 81** के पैरा 11 में प्रकाशित इसी प्रकार के मामले में दिए गए अवलोकन पर भरोसा करते हुए;

> ....न्यायालयों को न्यायालय में याचिका दायर करने में हुई देरी को क्षमा करने का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वे मामलों का गुण–दोष के आधार पर निपटारा करके पक्षों को उचित न्याय दिला सकें। इस न्यायालय ने समाहर्ता भूमि अधिग्रहण अनंतनाग और अन्य बनाम श्रीमती कात्जी और अन्य [1987 (2) एससीआर 387] मामले में यह माना कि परिसीमा अधिनियम में विधायिका द्वारा प्रयुक्त 'पर्याप्त कारण' शब्द इतना लचीला है कि न्यायालय कानून को सार्थक तरीके से लागू कर सकें, जिससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, जो कि न्यायालयों के अस्तित्व का मूल उद्देश्य है। आगे यह भी देखा गया है कि उदारवादी दृष्टिकोण को सिद्धांत रूप में अपनाया जाता है, यह महसूस किया जाता है कि :
>
> "1. सामान्यतः किसी वादी को अपील देर से दाखिल करने से कोई लाभ नहीं होता है।

2. देरी को माफ करने से इनकार करने पर एक योग्य मामला भी प्रारंभिक चरण में ही खारिज हो सकता है और न्याय का उद्देश्य विफल हो सकता है। इसके विपरीत, देरी को माफ करने पर अधिकतम यही हो सकता है कि पक्षों को सुनने के बाद मामले का फैसला योग्यता के आधार पर किया जाए।

3. 'हर दिन की देरी का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है इस का अर्थ यह नहीं है कि संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी का स्पष्टीकरण क्यों नहीं? सिद्धांत को तर्कसंगत, व्यावहारिक और तर्कसंगत तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

4. जब वास्तविक न्याय और तकनीकी विचार एक–दूसरे के विरुद्ध हों, तो वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष जानबूझकर न की गई देरी के कारण हुए अन्याय में निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

5. यह मान लेना उचित नहीं है कि विलंब कभी–कभी जानबूझकर, घोर लापरवाही के कारण या दुर्भावना से किया जाता है। विलंब करने से वादी को कोई लाभ नहीं होता।

6. यह समझना आवश्यक है कि न्यायपालिका अन्याय को वैध ठहराने की अपनी शक्ति का सम्मान तकनीकी आधारों पर नहीं करती, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और उससे यही अपेक्षा की जाती है।

2.1. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि राज्य द्वारा अपील दाखिल करने में देरी के पर्याप्त कारणों की जांच करते समय, अनुमेय सीमा के

अनुराग

भीतर कुछ हद तक छूट दी जा सकती है। **1996 (3) एससीसी 132** में प्रकाशित **हरियाणा राज्य बनाम चंद्रमणि और अन्य** के मामले में यह देखा गया है कि राज्य को किसी व्यक्ति के समान नहीं माना जा सकता। केरल के **विशेष तहसीलदार भूमि अधिग्रहण बनाम के.वी. अयिसुम्मा** के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि राज्य द्वारा देरी के कारणों को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और न्याय के हित को न ठेस पहुंचे, इसके लिए मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए। इसलिए, वह निवेदन करता है कि वर्तमान मामले में शामिल बिहार राज्य के नीतिगत निर्णय और विवरणों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वर्तमान अपील को दाखिल करने में हुई देरी को इस आधार पर क्षमा किया जाए कि आधिकारिक प्रक्रियाओं और प्रधान सचिव स्तर तक विचार–विमर्श/राय/अनुमोदन की प्रणाली में कुछ समय लगा।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 129 दिनों की देरी की माफी के आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थियों प्रतिदिन के आधार पर अपील दाखिल करने में हुई देरी का पर्याप्त कारण बताने में विफल रहे है और देरी का मुख्य कारण प्रक्रियात्मक देरी बताया है, क्योंकि संचिका मुख्यालय पहुँचती है और विभाग को निर्णय लेने में समय लगता है तथा उसे विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, इसलिए केवल प्रशासनिक कारण देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थियों ने लेटर्स पेटेंट अपील के तहत देरी की माफी का आवेदन दाखिल किया है, जबकि वर्तमान मामला विविध अपील है और गलत धारा के तहत दाखिल किया गया है, जो मामले के प्रति उनकी जागरूकता और गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उनका तर्क है कि यह सर्वविदित कानून है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम से संबंधित मामलों में, साथ ही वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम से संबंधित मामलों में, अपील दाखिल करने में देरी की माफी अपवाद के रूप में दी जा सकती है, नियम के रूप में नहीं। इसके अलावा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्योंकि अपीलकर्ता एक राज्य है, इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकता कि विलंब क्षमादान पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही के फैसले **महाराष्ट्र सरकार बनाम मेसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2021 खंड 6 एससीसी 460** में कहा

है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि **मेसर्स बोर्स ब्रदर्स** इंजीनियर मामले में यह माना गया है कि विलंब क्षमादान के लिए सरकार पर अलग मापदंड लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद संख्या 59 के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं :–

> 59. इसी प्रकार, केवल सरकार के शामिल होने मात्र से विलंब को माफ करने के लिए कोई अलग मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह बात **डाक महाप्रबंधक बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, 2012 (3) एससीसी 563** में बखूबी कही गई है।

3. i. उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, अर्थात् विवादों के शीघ्र समाधान पर जोर देते हुए, यह माना है कि 'पर्याप्त कारण' शब्द अपील प्रावधान में निर्धारित अवधि से परे लंबे विलंब को कवर करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं है। 'पर्याप्त कारण' शब्द स्वयं ही लापरवाहीपूर्ण और पुराने दावों को आगे बढ़ाने की समस्या का रामबाण इलाज नहीं है, जो अत्यंत संवेदनहीन और लापरवाहीपूर्ण तरीके से उदासीनता को दर्शाता है। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि इस आवेदन को अपील सहित खारिज कर दिया जाए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से समय सीमा के कारण वर्जित है।

4. मामले के तथ्यों और अभिलेखों में मौजूद सामग्रियों का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि अपील दाखिल करने में 129 दिनों की देरी हुई है। आवेदन के विभिन्न अनुच्छेदों से प्रासंगिक अंश जिनमें प्रतिवादी ने घटनाओं का क्रम बताया है, इस प्रकार हैं : –

09.07.20216	कार्य आदेश और समझौता
23.07.2018	कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुबंध रद्द कर दिया गया और एसबीडी के खंड–3 के तहत अग्रिम जमा राशि और सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई।
30.07.2018–06.08.2018	दावेदार को 10 साल के लिए कालीसूची क्यों नहीं किया जाना चाहिए और इसके अलावा, दावेदार कंपनी को 10 साल के लिए कालीसूची कर दिया गया था।
03.08.2018	याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूआईसी संख्या 15400/2018 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया।

23.08.2018	इस माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में रि याचिका स्वीकार कर ली गई। आदेश का प्रासंगिक अनुच्छेद 34।
06.09.2018	राज्य ने एल.पी.ए. संख्या 1282, वर्ष 2018 को प्राथमिकता दी।
04.10.2018	आदेश में यह देखा गया कि इस न्यायालय ने किसी भी पक्षों के पक्ष में योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है और अनुबंध के खंड 25 के अनुसार पक्षों के बीच विवाद का निपटारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना आवश्यक है।
	याचिकाकर्ता ने एसएलपी (सी) संख्या 28459 का 2018 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया।
12.11.2018	माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मामले की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखना उचित समझते हैं जिसमें मामले का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है। उपर्युक्त मध्यस्थता माननीय न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा संचालित की जाएगी। पक्षों की सहमति से, कालीसूची की औचित्यता के मुद्दे पर भी विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार किया जायेगा। याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता होगी की वह;
06.12.2018	मध्यस्थता न्यायाधिकरण की पहली बैठक बुलाई गई। इसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों और वकीलों ने भाग लिया और एक कार्यक्रम तैयार किया गया। उसी दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के रूप में अंतरिम संरक्षण की मांग करने वाले आवेदन के साथ दावा भी दायर किया गया था। कालीसूची के संबंध में अंतरिम सुरक्षा के लिए आवेदन करें।
26.11.2019	माननीय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा वादी के पक्ष में पारित मध्यस्थता पुरस्कार, वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के आधार पर और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निर्धारित कालीसूची की औचित्यता के आधार पर दिया गया है।
समयसीमा अवधि प्रारंभ तिथि : 26.11.2019	धारा 34 (3) के अनुसार, मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने बीत जाने के बाद निरस्तीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, या यदि धारा 33 के अंतर्गत कोई अनुरोध किया गया हो, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उस अनुरोध का निपटारा किए जाने की तिथि से तीन महीने बीत जाने के बाद आवेदन नहीं किया जा सकता है। परन्तु यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक पर्याप्त कारणवश उक्त तीन महीने की अवधि के भीतर आवेदन करने से वंचित रहा, तो न्यायालय तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।
समयसीमा समाप्त होने की	इस मामले में, 90 दिनों की परिसीमा अवधि 23.02.2020 को

तिथि : 23.02.2020	समाप्त हो गई।
23.07.2021 (516 दिन की देरी)	मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश, रोहतास के सासाराम की अदालत में दीवानी प्रकीर्ण मामला संख्या 44/2021 दायर किया गया था।
29.05.2023	रोहतास के सासाराम स्थित जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश प्रवेश स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। आदेश के प्रासंगिक अनुच्छेद–8 से 11। राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उन्हें मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में कोई उचित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ता मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुआ और उनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। उच्चतम न्यायालय का दिनांक 12.11.2018 का आदेश – पक्षों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति। अतः, इसकी जानकारी न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सासाराम के विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि याचिका केवल प्रतिवादी (मेसर्स बाबा हंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) को विलंबित करने और परेशान करने के लिए दायर की गई है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मामले को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इस आधार पर सिविल प्रकीर्ण याचिका को निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दी गई। 1. वर्तमान आवेदन दाखिल करने में देरी 2. आवेदन में उनके द्वारा उठाए गए आधारों को विद्वान न्यायालय ने उचित विचार–विमर्श के बाद स्वीकार्य नहीं पाया। 3. अतः सिविल प्रकीर्ण याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।
07.10.2023 को 129 दिनों की देरी हुई।	राज्य द्वारा दायर की जा रही प्रकीर्ण अपील संख्या 679/2023 मामला निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया गया था। अतः दिनांक 04.11.2023 को स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा आवेदन में एक दोष की ओर इशारा किया गया था। राज्य ने खामी की ओर इशारा करते हुए 21.03.2024 को विलंब की माफी के लिए आवेदन (139 दिनों का विलंब) दाखिल किया।

5. उपर्युक्त तिथियों की सूची का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर मैं पाता हूँ कि अपीलकर्ता ने वर्तमान मामले के विभिन्न चरणों में शिथिलता दिखाई है। अपीलकर्ता अधिनियम की धारा

P 87

34 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर माननीय जिला न्यायाधीश, रोहतास के समक्ष आवेदन दाखिल करने में विफल रहा और उसने 516 दिनों की देरी की क्षमा के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने 04.10.2023 को यह अपील और 21.03.2024 को आईए संख्या 01/2024 दायर की, जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम द्वारा सिविल विविध मामले संख्या 44/2012 में दिनांक 29.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध वर्तमान प्रकीर्ण अपील को दाखिल करने में हुई 129 दिनों की देरी को क्षमा करने का अनुरोध किया गया था।

6. प्रारंभ में, इस मामले में लागू होने वाले प्रासंगिक कानूनी प्रावधान, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 को प्रस्तुत करना अनिवार्य है :

> "5. **कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार**– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकेगा, यदि अपीलकर्ता या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने या आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था स्पष्टीकरण। यह तथ्य कि अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित अवधि का निर्धारण या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रथा या निर्णय से गुमराह हो गया था, इस धारा के अर्थ में पर्याप्त कारण हो सकता है।

"अनुसूची"

वाद का विवरण	सीमा की अवधि	वह समय जिससे अवधि शुरू होती है
116. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 का 1908) के तहत (क) किसी निर्णय या आदेश से उच्च न्यायालय में अपील करना	नब्बे दिन	आदेश या निर्णय की तिथि आदेश या निर्णय की तिथि।

(ख) किसी निर्णय या आदेश से किसी अन्य न्यायालय में अपील करना।	तीस दिन	
17. किसी उच्च न्यायालय के निर्णय या आदेश से उसी न्यायालय में अपील करना।	तीस दिन	आदेश या निर्णय की तिथि

7. कानूनी स्थिति यह है कि यदि कोई मामला न्यायालय में निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया है, तो अपीलकर्ता को न्यायालय को यह स्पष्ट करना होगा कि वह "पर्याप्त कारण" क्या था जिसके कारण वह निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। **मज्जी सन्नेम्मा बनाम रेड्डी श्रीदेवी, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1260** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि भले ही परिसीमा किसी पक्ष के अधिकारों को कठोर रूप से प्रभावित करती हो, लेकिन जब इसे कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तो इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के **अजय डाबरा बनाम प्यारे राम, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 92** के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया था :

> "13. इस न्यायालय ने **बासवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी [(2013) 14 एससीसी 81]** के मामले में पर्याप्त कारण के अभाव में विलंब की माफी के लिए आवेदन को अस्वीकार करते हुए अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है :
>
> 15. इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि कोई मामला समय सीमा के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तो आवेदक को न्यायालय को यह स्पष्ट करना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था, जिसका अर्थ है एक उचित और पर्याप्त कारण जिसके कारण वह समय सीमा के भीतर न्यायालय में नहीं पहुंचा। यदि किसी पक्ष को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लापरवाही का दोषी

पाया जाता है, या उसकी ओर से सद्भावना का अभाव पाया जाता है, या यह पाया जाता है कि उसने तत्परता से कार्य नहीं किया या निष्क्रिय रहा, तो विलंब को क्षमा करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता। कोई भी न्यायालय ऐसे विलंब को क्षमा करने के लिए न्यायसंगत नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की शर्त लगाकर अत्यधिक विलंब करना अनुचित है। विलंब क्षमा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही आवेदन का निर्णय किया जाना चाहिए। यदि किसी वादी को समय पर न्यायालय में आने से रोकने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, तो बिना किसी औचित्य के, किसी भी प्रकार की शर्त लगाकर विलंब क्षमा करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश पारित करने के समान है और यह विधायिका के प्रति घोर अवहेलना का प्रतीक है।

8. उपरोक्त मिसाल से यह स्पष्ट होता है कि विलंब को क्षमा करने का विवेक प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए और "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति की उदार व्याख्या नहीं की जा सकती, यदि मामले के तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो कि याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना का अभाव रहा है। "पर्याप्त कारण" शब्द का अर्थ यह है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पक्ष को लापरवाहीपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए था या याचिकाकर्ता की ओर से सद्भावना का अभाव नहीं होना चाहिए था।

9. **भारत संघ बनाम जहांगीर बायरामजी जीजीभॉय (डी) अपने कानूनी वारिसों के माध्यम से, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 489** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उदारता के नाम पर विलंब को माफ नहीं किया जाना चाहिए और विपक्षी पक्ष के नुकसान पर वास्तविक न्याय नहीं किया जाना चाहिए। उसी का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है :

"24. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हमें यह विश्वास नहीं हो जाता कि इतनी लंबी और अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण सिद्ध हो गए हैं, तब तक हम मामले की गुण–दोष पर विचार नहीं करेंगे। जब 12 साल से अधिक की भारी देरी को माफ करने की बात आती है, तो यह मायने नहीं रखता कि वादी कोई निजी पक्ष है या कोई राज्य या भारत का संघ। यदि वादी कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बहुत बाद अदालत में जाता है, तो वह यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि देरी को माफ करने से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा।

26. न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह क्षमादान चाहने वाले पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की सत्यता का पूर्वतया पता लगाए। यदि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया पर्याप्त कारण और दूसरे पक्ष का विरोध समान रूप से संतुलित हो, तभी न्यायालय देरी को माफ करने के उद्देश्य के मामले की खूबियों पर विचार कर सकेगा।

देरी को माफ करने का उद्देश्य।

उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि :

27. हमारा मानना है कि परिसीमा का प्रश्न मात्र एक तकनीकी विचारणीय विषय नहीं है। परिसीमा के नियम सुदृढ़ सार्वजनिक नीति और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हमें प्रतिवादी के सिर पर अनिश्चित काल तक तलवार की तरह लटके नहीं रहने देना चाहिए,

अनुपम

(285)

जिसे अपीलार्थियों की मनमर्जी पर तय किया जा सके।"

10. अपीलार्थियों द्वारा बताए गए मामले के तथ्यों के अवलोकन से, मुझे पता चलता है कि अपीलकर्ता ने 23.07.2021 को मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। मध्यस्थता पुरस्कार माननीय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा 26.11.2019 को पारित किया गया था। अपीलकर्ता के वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **प्रतिवादी : परिसीमा विस्तार हेतु संज्ञान (स्वतः संज्ञान रिट आवेदन (सी) संख्या 3/2020)** के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को सभी न्यायिक और अर्ध–न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित परिसीमा के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा जाएगा और परिणामस्वरूप 03.10.2021 को शेष परिसीमा अवधि, यदि कोई हो, 01. 03.2022 से प्रभावी होगी। हालांकि, यहां यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि परीक्षण न्यायालय ने यह सही माना है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने की समय सीमा कोविड–19 महामारी के शुरू होने से पहले, यानी 23.02.2020 को समाप्त हो चुकी थी, इसलिए यह पूर्व निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा। अपीलकर्ता ने जिला न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम के समक्ष दीवानी विविध याचिका दाखिल करने में घोर लापरवाही बरती और इसे 23.07.2021 को दाखिल किया गया। अपीलकर्ता का यह तर्क है कि वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **प्रतिवादी : परिसीमा विस्तार हेतु संज्ञान (स्वतः संज्ञान रिट आवेदन (सी) संख्या 3/2020)** के अंतर्गत आता है, कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

11. उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकुमार चौधरी, 2024 आइएनएससी 932**, में यह कहा गया है कि:

समय के साथ हमने देखा है कि जब भी किसी निजी वादी या राज्य की ओर से विलंब की क्षमा के लिए याचिका दायर की जाती है, तो विलंब का स्पष्टीकरण परिसीमा अवधि शुरू होने के समय से ही मांगा जाता है, और यदि विलंब 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष का भी हो, तो परिसीमा अवधि के अंत तक का स्पष्टीकरण मांगा

जाता है। उदाहरण के लिए, यदि परिसीमा अवधि 90 दिन है, तो क्षमा मांगने वाले पक्ष को यह बताना होगा कि वह परिसीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने में असमर्थ क्यों रहा। 91वें दिन के बाद से लेकर अंतिम दिन तक जो कुछ भी हुआ हो, उसका कोई महत्व नहीं है। न्यायालय को यह विचार करना होगा कि पक्षकार के सामने ऐसी क्या बाधा आई कि वह 1वें दिन से 90वें दिन के बीच अपील दायर करने में असमर्थ रहा। यह सत्य है कि किसी पक्षकार को अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करने का अधिकार है। लेकिन जब वह परिसीमा अवधि समाप्त होने देता है और पहले अपील दायर न करने का पर्याप्त कारण बताता है, तो पर्याप्त कारण यह साबित करना चाहिए कि परिसीमा अवधि समाप्त होने से पहले घटित किसी घटना या परिस्थिति के कारण समय पर अपील दायर करना संभव नहीं था। परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद घटित कोई भी घटना या परिस्थिति ऐसा पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी घटनाएँ या परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो अपील दायर करने में और देरी कर सकती हैं। लेकिन अपील दायर किए बिना परिसीमा अवधि समाप्त होने देने का कारण परिसीमा अवधि के भीतर घटित होना चाहिए। (देखें : **अजीत सिंह ठाकुर सिंह और अन्य बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1981 एस सी 733)**।

12. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को वर्तमान मामले पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण बताने में विफल रहा है, जिसके

(203)

कारण वह अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत निर्धारित अवधि, यानी 01.09.2023 से पहले अपील के लिए आवेदन दाखिल करने में असमर्थ रहा। अपीलकर्ता ने यह बताने के लिए कोई ठोस और बाध्यकारी कारण नहीं दिया है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन क्यों दाखिल नहीं कर सका और देरी का पर्याप्त कारण क्या था।

13. इसके अलावा, अपीलकर्ता के वकील का यह तर्क कि संचिकाओं को क्षेत्र से मुख्यालय/विभाग तक और विभाग में भी सहायक स्तर से लेकर संयुक्त सचिव/सचिव स्तर तक विभिन्न अधिकारियों के पार ले जाने में लगने वाली धीमी गति के कारण अपील दाखिल करने में देरी हुई, देरी को माफ करने का 'पर्याप्त कारण' नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने **मुख्य डाक महाप्रबंधक कार्यालय और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और एएनआर (उपरोक्त)** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया :–

> "12. वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास अलग परिसीमा अवधि है, जबकि विभाग के पास अदालती कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति मौजूद थे। तर्कसंगत और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि केवल इसलिए कि सरकार या सरकार का कोई विभाग हमारे समक्ष पक्षकार है, विलंब को यंत्रवत रूप से क्षमा क्यों किया जा रहा है? यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विलंब क्षमा के मामले में, जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक न हो, तो स्थिति जटिल हो सकती है। निष्क्रियता या सद्भावना की कमी की स्थिति में, वास्तविक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उदार रियायतें अपनानी होंगी। हमारा मानना है कि मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग विभिन्न पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता। आधुनिक तकनीकों के उपयोग और उपलब्धता को देखते हुए, अवैयक्तिक कार्यप्रणाली और कई नोट्स बनाने की विरासत में मिली नौकरशाही

(481)

> पद्धति के आधार पर किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14. यह अवलोकन स्वतः स्पष्ट है कि सरकारी विभागों के संबंध में भी सरकार द्वारा विलंब को माफ करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है। न्यायालय को विवेकपूर्ण ढंग से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी संगठन जानबूझकर निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकता है और अपीलकर्ता द्वारा विलंब के लिए प्रस्तुत तथ्य और परिस्थितियाँ विचारणीय नहीं हैं। **नागालैंड राज्य बनाम लिपोक एओ** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कई पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय को प्राप्त विवेक का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त कारण का प्रमाण एक पूर्व शर्त है : **((2005) 3 एससीसी 7852, पैरा 8)**

> "8. महत्वपूर्ण बात विलंब की अवधि नहीं है, बल्कि कारण की पर्याप्तता है और विलंब की संक्षिप्तता विवेकाधिकार का उपयोग करते समय ध्यान में रखी जाने वाली परिस्थितियों में से एक है।"

14.i. उसी मामले में न्यायालय ने राज्य और उसकी एजेंसियों/संस्थाओं के कामकाज में होने वाली सामान्य नौकरशाही देरी का भी संज्ञान लिया और टिप्पणी की :

> "13. अनुभव से पता चलता है कि एक अवैयक्तिक तंत्र (जिस मामले के प्रभारी व्यक्ति पर अपील की जाने वाली निर्णय का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता) और नोट बनाने, संचिकाओं को इधर–उधर धकेलने और जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की मानसिकता से ग्रस्त विरासत में मिली नौकरशाही कार्यप्रणाली के कारण राज्य द्वारा की गई देरी को समझना तो आसान है, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन है। राज्य, जो समुदाय के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, मुकदमेबाजी में अवांछित स्थिति का हकदार नहीं है।

इसलिए, न्यायालयों को पर्याप्त कारण की अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय प्रावधान की भावना और दर्शन से अवगत होना चाहिए।"

14.ii. यदि इसके अलावा **एन बालाकृष्णन बनाम एम. कृष्णमूर्ति बनाम (1998) 7 एससीसी 123** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मानाकिः

"विलंब की अवधि मायने नहीं रखती, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदंड है। कभी–कभी स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में अल्प से अल्प विलंब भी अस्वीकार्य हो सकता है, जबकि कुछ अन्य मामलों में, बहुत लंबे विलंब को भी स्वीकार्य माना जा सकता है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक है तो विलंब को क्षमा किया जा सकता है। एक बार न्यायालय स्पष्टीकरण को पर्याप्त मान लेता है, तो यह विवेकाधिकार के सकारात्मक प्रयोग का परिणाम होता है और सामान्यतः उच्च न्यायालय को ऐसे निर्णय को नहीं बदलना चाहिए, विशेषकर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि विवेकाधिकार का प्रयोग पूरी तरह निराधार या मनमाना या अनुचित न हो। लेकिन यह एक अलग मामला है जब प्रथम न्यायालय विलंब को क्षमा करने से इनकार कर देता है। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय विलंब के कारण पर नए सिरे से विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे उच्च न्यायालय को निचली अदालत के निष्कर्ष से अप्रभावित रहते हुए भी अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालने का अधिकार है।

14.iii. **मानिबेन देवराज शाह वी. बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससी 0157** के मामले में,

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि राज्य और उसकी एजेंसियों/संस्थाओं से जुड़े मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लिया जाता है, फिर भी राज्य और/या उसकी एजेंसियों/संस्थाओं के अधिकारियों की पूर्ण सुस्ती या घोर लापरवाही को कोई रियायत नहीं दी जा सकती और विलंब क्षमा के लिए उनके द्वारा दायर आवेदनों को इस दलील को स्वीकार करके यूं ही स्वीकार नहीं किया जा सकता कि परिसीमा के उल्लंघन के आधार पर जनहित को हानि पहुँचाने के मामले को खारिज करना उचित नहीं होगा।

14.iv. इस मामले में यह देखा गया है कि अपीलार्थियों ने जिला न्यायाधीश, रोहतास के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने में 516 दिनों की देरी की माफी मांगी थी और याचिका को प्रवेश के चरण में ही खारिज कर दिए जाने पर, अपीलार्थियों ने वर्तमान दीवानी विविध याचिका दायर करने में अत्यधिक लापरवाही दिखाई है। अपीलकर्ता अपने कर्तव्यों के प्रति तत्परता और सतर्कता दिखाने में विफल रहे हैं। उन्होंने मामले से निपटने में घोर लापरवाही बरती है। वे देरी की अवधि की परवाह किए बिना, देरी के पर्याप्त कारण को उचित ठहराने में विफल रहे हैं। जिला न्यायाधीश, रोहतास का विवादित आदेश 29.05.2023 को पारित किया गया था, लेकिन अपीलार्थियों ने आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए एक महीने बाद 28.06.2023 को आवेदन किया। शीघ्र कार्रवाई न करने का कारण अपीलार्थियों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अपील 04.10.2023 को यानी 129 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है। यह पाया गया है कि विलंब की माफी के लिए दायर आवेदन और अपीलकर्ता के हलफनामे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से मौन है :

(क) पुरस्कार की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन क्यों नहीं किए गए, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दिनांक 24.06.2023 तक याचिकाएं दायर की गईं, जबकि धारा 34 के तहत उनका आवेदन जिला न्यायाधीश द्वारा पहले ही उन्हीं आधारों पर खारिज कर दिया गया था, अर्थात् निर्धारित अवधि के बाद याचिका दायर करना।

(ख) मध्यस्थता पुरस्कार के अभिलेख की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का नाम और वर्तमान आवेदन दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम प्रकट नहीं किया गया है।

(ग) यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि विविध आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद क्यों दाखिल किया गया था।

(घ) यद्यपि राज्य ने अपनी ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए कई वकीलों को नियुक्त किया है, फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि जिन निर्णयों के विरुद्ध अपील की जानी है, उनकी प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने में क्या बाधा उत्पन्न हुई।

15. वर्तमान मामला अपीलकर्ता–राज्य की ओर से लापरवाही, गैर–गंभीरता और असावधानी का स्पष्ट उदाहरण है। सरकारी तंत्र में प्रक्रियात्मक बाधाएं विलंब को क्षमा करने का पर्याप्त कारण नहीं हैं, क्योंकि जिला न्यायाधीश ने पहले ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उनकी याचिका को प्रवेश के चरण में ही खारिज कर दिया था, क्योंकि यह समय सीमा से बाधित थी। **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती केशर, एआईआर 1996 राज. 28** के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा अपील दाखिल करने में मात्र 16 दिनों की देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदन को घोर लापरवाही, प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण न देने और पर्याप्त कारण न होने के आधार पर खारिज कर दिया था। **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बीईएससीओ लिमिटेड, 2024 : डीएससी : 9291 : डीबी** के मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 112 दिनों की देरी को दर्शाने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था और तदनुसार उक्त अपील को अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान मामले में भी, यह देखा गया है कि वर्तमान याचिका दाखिल करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

16. **ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी की प्रबंध समिति और अन्य, (2013) 12 एससीसी 644** में माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ भी इस मामले में प्रासंगिक हैं। अपने निर्णय में, विलंब की क्षमा पर विभिन्न प्राधिकारियों का उल्लेख करते हुए, निम्नलिखित बिंदुओं को अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी क्षमा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था;

"21. उपर्युक्त प्राधिकारियों से व्यापक रूप से निकाले जा सकने वाले सिद्धांत निम्नलिखित हैं :

(iv) विलंब के जानबूझकर कारण होने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वकील या वादी की ओर से घोर लापरवाही ही विलंब का कारण हो सकती है।

21.5. (v) विलंब की क्षमा मांगने वाले पक्ष पर सद्भावना का अभाव महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।

21.7. (vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा में तर्कसंगतता समाहित है और इसे पूरी तरह से अनियंत्रित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

21.9. (ix) किसी पक्षकार की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और दृष्टिकोण प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूलभूत सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के तराजू को तौलना आवश्यक है और उदार दृष्टिकोण के नाम पर उक्त सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

21.10. (x) यदि दी गई व्याख्या मनगढ़ंत है या आवेदन में बताए गए आधार काल्पनिक हैं, तो न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए कि वे दूसरे पक्ष को अनावश्यक रूप से ऐसे मुकदमे का सामना न करना पड़े।

22.1. (क) विलंब की क्षमा के लिए आवेदन सावधानीपूर्वक और चिंतापूर्वक तैयार किया जाना चाहिए, न कि इस धारणा के साथ कि न्यायालयों को इस सिद्धांत के आधार पर विलंब को क्षमा करना आवश्यक है कि किसी मामले का गुण–दोष के आधार पर निर्णय न्याय वितरण प्रणाली के लिए मौलिक है।

22.4. (घ) विलंब को गैर–गंभीर मामला समझने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए लापरवाही से प्रदर्शित की जा सकने वाली उदासीनता को कानूनी मापदंडों के भीतर ही नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

[जोर दिया गया]

17. परिसीमा के नियम का अभिप्रेत पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं हैं कि उनका विलंबकारी हथकंडे न अपनाएं, बल्कि शीघ्र ही उनका निवारण करें। परिसीमा कानून, कानूनी रूप से हुए नुकसान के निवारण हेतु कानूनी उपाय के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है। परिसीमा कानून जन नीति पर आधारित है। यह इस सिद्धांत में निहित है कि मुकदमेबाजी की समय सीमा जनहित में है (मुकदमेबाजी की समय सीमा निर्धारित करना जनहित में है)।

18. कानून के उपरोक्त प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में दिए गए अवलोकनों के आलोक में, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई व्याख्या अपील दाखिल करने में 129 दिनों की देरी को क्षमा करने का कोई 'पर्याप्त कारण' नहीं दर्शाती है, जिसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 37 और परिसीमा अधिनियम, 1963 की द्वितीय श्रेणी अपील (अनुच्छेद संख्या 116) की अनुसूची के अनुसार 90 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना आवश्यक था। सर्वोच्च न्यायालय ने **महाराष्ट्र सरकार बनाम मेसर्स बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के पैरा 23** में भी यही बात कही है। इस मामले में, अपील याचिका देर से दाखिल करने में अपीलकर्ता द्वारा दिखाई गई घोर लापरवाही के अलावा, यह देखा गया है कि अपीलकर्ता ने सिविल विविध अपील के बजाय लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है और वह भी कानून के गलत प्रावधानों के तहत। यह रवैया एक बार फिर इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपीलकर्ता का यह संवेदनहीन रवैया घोर लापरवाही और असावधानी का स्पष्ट प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों से यह स्पष्ट है कि किसी पक्ष की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और रवैया विलंब को क्षमा करने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ऐसे में, अपीलकर्ता के आईए संख्या 1/2024 में वे आधार नहीं बताए गए हैं जो परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत विलंब को क्षमा करने के लिए "पर्याप्त कारण" का गठन करते हों। अतः अंतरिम आवेदन अस्वीकृत किया जाता है और इस प्रकार वर्तमान अपील भी परिसीमा के कारण प्रवेश के चरण में ही खारिज की जाती है।

अनुभव

(771)

(रमेश चांद मालवीय, जे)

ब्रजेश कुमार/–

एएफआर/एनएएफआर	एएफआर
सीएवी तिथि	एन/ए
अपलोड करने की तिथि	10.01.2025
संचरण तिथि	10.01.2025

अनुवाद